कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3)के अनुरूप ग्रुप एफ में संवर्गित **प्रधानाध्यापक (मावि) एवं समकक्ष पद (ग्रुप–एफ)** पे–बेण्ड 15600–39100 पी बी–3 ग्रेड पे 5400(एल–14) में वर्ष 2011–12 से 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही में की गई अनुशंषाओं के आधार पर इस कार्यालय के आदेशांकः– शिविरा/मा/संस्था/बी–III/डीपीसी/प्रअ/17–18 दिनॉक 27.04.18 द्वारा चयन किये जाने पर शिक्षा सेवा के सलंग्न सूची के अधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् सन्तानोत्पति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे। अतः संबंधित नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्ति से पूर्व इस आशय की घोषणा प्राप्त करेंगे कि इनके 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पति से संतानों की कुल संख्या 2 से अधिक नहीं हुई है । नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद , जन्म तिथि एवं धारित अर्हता एवं विभागीय जांच (सीसीए नियम 16 व 17 में) बकाया नहीं होने का मिलान कर पुष्टि करेंगे, तथा **यह भी सुनिश्चित करेगें कि आदेश में उल्लेखित पदोन्नत कार्मिक का वरिष्ठता वर्ष के उपरान्त मण्डल परिवतर्तित नहीं हुआ हैं । यदि कार्मिक का मण्डल परिवर्तित हुआ है तो ऐसी स्थिति में कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नही करते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई–मेल absecsecedu@gmail.com पर तुरंत सूचित करेंगे।**

संबंधित अधिकारी नियत दिनांकः–07.06.2018 तक पदोन्नति पदस्थापन के स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेगें। लोकसेवक अगर पदोन्नति का परित्याग करना चाहे तो उसे अपने नियन्त्रण अधिकारी को नियत दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित में आवेदन करना होगा अन्यथा उन्हें नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा। नियन्त्रण अधिकारी निर्धारित तिथि से एक दिवस पूर्व आवश्यक रूप से पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त करने के लिए उत्तरदायी होगें । कार्यभार ग्रहण करने/पदोन्नति परित्याग की सूचना नियन्त्रण अधिकारी(संस्था प्रधान) द्वारा कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि के आगामी दिवस को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक/ई–मेल सूचित करेंगे।

संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही शालादर्पण के माध्यम से ही सुनिश्चित करेगें। इसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रधान का ही होगा।
संलग्न सूची के अनुसार

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमॉकः– शिविरा–मा/संस्था/बी–1/45001/प्रअ/रिव्यू डीपीसी–17–18/2017/ दिनॉकः–07/06/18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् :–

01. शासन सचिव–शिक्षा,प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)/कार्मिक(क–5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
04. उप निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक) समस्त मण्डल।
05. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक) समस्त।
06. संबधित संस्था प्रधान।
07. संबंधित पदोन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण के साथ उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दपर्ण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करेगें ।
07. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनिय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ प्रभारी बी–3
08. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक–कार्मिक

कार्यालय–निदेशक,माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/बी–I/45001/रिव्यू डीपीसी/11–12 से 17–18/2018 दिनांक :- 17·06·2018

क्र.सं	वरिष्ठता क्रमांक		वरिष्ठता अवधि	नाम अभ्यर्थी	जन्म दिनांक	वर्ग	चयन वर्ष	वर्तमान पदस्थापन	जिला	पदस्थापन स्थान	जिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1487	28	92–93	हरबंसलाल	08.07.1962	सामान्य	2017–18	राउमावि नदबई	भरतपुर	रामावि मांझी, नदबई	भरतपुर

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक,माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर